कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल

Website:www.mp.gov.in/pwdmp **e mail :sepwdadminenc@mp.nic.in**

Phone-0755-2551372 Fax : 2556527

पृ.क्रमांक. 401/सा/विविध/ 044/2016 /1314 **दिनांक** 28 **/12/2016**

1. समस्त मुख्य अभियंता
   लोक निर्माण विभाग।
   .... परिक्षेत्र म0प्र0।

2. समस्त अधीक्षण यंत्री
   लोक निर्माण विभाग मंडल...........म.प्र.।

3. समस्त कार्यपालन यंत्री
   लोक निर्माण विभाग,
   संभाग.................. म.प्र.।

विषयः— वर्क कान्ट्रेक्ट के दस्तावेजो पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने बाबत ।

संदर्भः— महानिरीक्ष पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. का पत्र क्रं. 5449/निरीक्षण/2016 दिनांक 16.12.2016

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत महानिरीक्ष पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. के संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय सहपत्रों के संलग्प प्रेषित् है। शासन के निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)
मुख्य अभियंता(यो/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
"निर्माण भवन"म.प्र.भोपाल

Mail द्वारा प्रेषित
28.12.16

पृ.क्रमांक. 401/सा/विविध/ 044/2016 **दिनांक** **/12/2016**

प्रतिलिपिः—

सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

(हस्ताक्षर)
मुख्य अभियंता(यो/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
"निर्माण भवन"म.प्र.भोपाल

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011)

क्रमांक 5549/ निरी/2016 भोपाल, दिनांक 16/12/16

प्रति

कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि., भोपाल आवक क्र. 236984 दिनांक 23/12/16

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क के उचित परीक्षण एवं कमी शुल्क वसूली की कार्यवाही विषयक।

––0––

जैसा कि आपको विदित है, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में प्राप्त होने वाला राजस्व मध्यप्रदेश शासन की आय के प्रमुख स्त्रोतों में से एक है।स्टाम्प शुल्क अपवंचन से होने वाली राजस्व हानि की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि लोक कार्यालयों के भारसाधक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज अपर्याप्त मुद्रांकित (Understamped) होने की स्थिति में उन्हें साक्ष्य में ग्रहण न किया जाए तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अधीन मूलतः परिबद्ध (Impound) कर कमी शुल्क की वसूली हेतु जिला पंजीयक को संदर्भित किया जाए।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 62 में अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज निष्पादित करने, पृष्ठांकित करने, अंतरित करने, उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करने आदि की दशा में जुर्माने का प्रावधान है।

3. उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत घटनावश असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखत (Instrument) के निष्पादन दिनांक से एक वर्ष के भीतर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर यह पाए जाने पर कि भूल वश लिखत पर उचित स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया है, दण्डात्मक कार्यवाही के बजाए उचित स्टाम्प शुल्क की रकम स्वीकार कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उसे धारा 42 के अंतर्गत उचित मुद्रांकित मान्य किए जाने का प्रावधान है।

विभिन्न दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpigr.gov.in पर देखी जा सकती है। अधिनियम के संगत प्रावधानों की जानकारी संलग्न है।

निरन्तर पृष्ठ 02

4. शासकीय कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत होते हैं, जैसे वर्क कॉन्ट्रेक्ट, भवन किराया अनुबंध, लीज डीड, शपथ पत्र आदि प्रस्तुत होते हैं जिनपर नियमानुसार समुचित स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जाना अपेक्षित है।

5. राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 के अंतर्गत "वर्क–कान्ट्रेक्ट" के लिए विशिष्ट प्रावधान करते हुए स्टाम्प अनुसूची के अनुच्छेद 6 (छख) अनुसार विकास/निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बंधपत्र की श्रेणी में न आने वाले वर्क कॉन्ट्रेक्ट पर न्यूनतम 500/– रूपये एवं अधिकतम 25000/– रूपये की सीमा के अध्यधीन रहते हुए 0.25 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। तदनुसार आपके अधीनस्थ कार्यालयों में निष्पादित होने वाले वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर उचित स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता सुनिश्चित करने हेतु यथायोग्य निर्देश जारी करने का कष्ट करें। c/7

6. स्टाम्प अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत लोक अधिकारियों से अपेक्षित है कि जिला पंजीयक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्टाम्प शुल्क की जांच के प्रयोजन से निरीक्षण हेतु संगत अभिलेख/उनकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

7. जिला पंजीयकों को लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु सघन अभियान संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस अनुक्रम में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इनमें प्रस्तुत होने वाले विविध दस्तावेजों को जिला पंजीयक के निरीक्षण हेतु यथा समय उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके परीक्षण एवं कमी शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

उक्त के अतिरिक्त कण्डिका 3 में यथा वर्णित धारा 41 के अधीन प्रावधानित कार्यवाही के विकल्प का भी अवलम्बन लिया जा सकता है।

16/12/16

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 5450 /निरी०/2016 भोपाल, दिनांक 16/12/2016

प्रतिलिपिः–

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/12/16

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमांक 3125 / 2624 / 2016 / 19 / यो   भोपाल दिनांक 06 / 06 / 2016

प्रति,

1 प्रबंध संचालक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।

2 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

3 परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
पी0आई0यू0 भोपाल।

विषयः— वर्क कान्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाये जाने बाबत्।

संदर्भः— 1 प्रमुख अभियंता का पत्र क0 403 / सा / 044 / 2016 / 339 दिनांक 04.04.2016
2 परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 का पत्र कमांक 6—11 / 2015 / निविदा / विशेष शर्त / सा / पी0डी0 / 441 दिनांक 23.04.2016

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा वर्क कान्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाये जाने के संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक 1502 / तकनीकी—11 / 2016 दिनांक 22.03.2016 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करता है।

सहपत्रः—एक

22600
09-06-16

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
2/6/16
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमांक / 2624 / 2016 / 19 / यो   भोपाल दिनांक / 05 / 2016

प्रतिलिपिः—

निज सचिव मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः—शून्य

सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1502/ तकनीकी–11/2016 भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016

प्रति

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय – वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील प्रावधान के अनुसार न्यूनतम पांच सौ रूपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रूपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्टाम्प शुल्क के रूप में शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति न हो।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 1503/ तकनीकी–11/2016 भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

30 MAR 2016

(प्रमोद अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, लो.नि.वि.
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता
आ. क्र. 22430
2/4/16

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश